न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट 23 / 2019 / भीलवाड़ा

मांगू पुत्र छोगा जाति बंजारा मृतक जरिये वारिसान **बनाम** राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा

आदेश दिनांकः—29.04.2022

वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में अंकित अपीलांट संख्या 4 भंवरलाल पुत्र मांगू जाति बंजारा निवासी विशनिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का अपील अवधि के दौरान दिनांक 20.09.2019 को स्वर्गवास हो गया, इसके निम्न वारिसान पूषा बेवा मांगू, पीयूष पुत्र मांगू, पवन पुत्र मांगू, पायल पुत्री मांगू यह कथन किया कि उपरोक्त वारिसान को मृतक अपीलांट का राइट टू स्यू सरवाइव करता है। इस समय अपीलांट संख्या 4 के वारिसानों का अधिकार पत्र पेश किया जा रहा है जिसको रिकोर्ड पर लिया जायें। साथ ही अपीलांट 1 से लेकर 3 व 5 से लेकर 8 तक का अधिकार पुनः पेश किया जा रहा है जिसको भी कोर्ट पत्रावली में लिया जायें। अतः अपीलांट 4 भंवरलाल पुत्र मांगू का नाम तर्क किया जायें। उनके विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जायें। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

साथ में भंवरला बंजारा का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.09.2019 पायल बंजारा का अध्ययन प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2019 , पवन बंजारा का अध्ययन प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2019 को प्रस्तुत किया है साथ ही भंवरलाल के तीनों संतानो से उनकी माता द्वारा अधिकार पत्र एवं अपीलांट 1 से 3 एं 5 से 8 का संशोधित पावर किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट के वकील द्वारा दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। उसके अनुसार दिनांक 16.01.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 19.12.2019 को हो चुकी है। पूरी अपील अबेट हो चुकी है तथा अपीलांट द्वारा अबेटमेंट को निरस्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र अंदर अवधि दिनांक 20.02.2020 तक पेश नहीं किया है। अतः अपील पूर्ण रूप से निरस्त हो चुकी है। वकील रेस्पो0 द्वारा विशेष कथन में यह बताया है कि आदेश 22नियम 3(1) के अनुसार आवश्यक पक्षकार होने से उसके स्वर्गवास के दिनांक से अवधि अधिनियम आर्टिकल 120 के अन्तर्गत निवेदन की अवधि होती है और उक्त अवधि दिनांक 19.12.2019 को समाप्त हो चुकी है। उक्त कारण से प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2020 अवधि बहार आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र की भी अवधि आर्टीकल 121 के अनुसार समाप्त हो चुकी है। अतः अपील पूर्णतः निरस्त हो चुकी है। इस संबंध में वकील रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2014(3) एनडीजे (राजस्थान) 1132 का उद्धरण दिया है।

बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई, वकील अपीलांट द्वारा बताया कि उनके द्वारा भंवरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा यह कहा कि लैण्ड रेवन्यु एक्ट में अबेटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है इस बारे में उनके द्वारा 9[illegible] डी पेज 200 का उल्लेख किया। उनके अनुसार दिनांक 20.09.2019 को भंवरलाल की मृत्यु के बाद उनको 150 दिन मिलते है। प्रार्थना पत्र देने की उनको आवश्यकता नहीं है। वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि निर्धारित समयावधि 60 दिन की है मियाद अवधि अधिनियम धारा 3 और आदेश 22 नियम 9 के संदर्भ में यदि देखा जायें। तो अपील अबेंट हो चुकी है। वारिस के नाम नहीं होकर मांगू के वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

बतायें है। प्रार्थना पत्र पर अभि0 श्री मदनलाल गुर्जर है। अबेटमेंट को खत्म करने हेतु धारा 5 में कोई प्रार्थना पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 340 से प्रभावित दिखता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया, मियाद अवधि अधिनियम की धारा 3 सीपीसी के आदेश 22 नियम 9 तथा वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का अवलोकन किया गया। आदेश 22 नियम 3 का अवलोकन किया गया, नियम 3(1) के अनुसार कही वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया बताई गई है। इसमें यह कहा गया है कि एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां असिमित आवेदन किये जाने पर न्यायालय मृतकवादी के विधिक वारिसान हो। पक्षकार बनायेगा और वाद में अग्रसर होगा। नियम 3(2) के अनुसार जहां विधि द्वारा परिसिमित समय के भीतर कोई आवेदन उप नियम 1 के अधीन नहीं किया जाता है। वहां वाद का उपसमन वहां तक हो जायेगा। जहां तक मृत वादी का संबंध है।

सीपीसी के प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र निर्देशन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और 90 दिन के समय समाप्त होने पर वाद अथवा अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है। आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत 60 दिवस में उक्त अबेटमेंट को सैट असाइड करवाने के संबंध में मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 20.09.2019 को बताई है और आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2020 को दिया गया। दिनांक 20.12.2019 को 90 दिवस पूरे हो जाते है। उसके भी कही दिन बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अबेटमेंट को निरस्त कराने बाबत आदेश 22 नियम 9 के प्रार्थना पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जो कायम मुकाम प्रस्तुत किये गये है वह भी मृतक भंवरलाल की जगह मांगू लिखा हुआ है। अपीलांट द्वारा अबेटमेंट को निरस्त करवाने बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः वाद बहस पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलांट के दिये गये प्रार्थना पत्र में कही गलतियां है तथा प्रार्थना पत्र मियाद अवधि के बाहर प्रस्तुत किया गया है तथा अबेटमेंट को सैट असाइड करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट` खारिज किया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–90/2019/भीलवाड़ा

मांगू पुत्र छोगा जाति बंजारा मृतक जरिये कायममुकामान–
1–सुवा बेवा मांगू
2–हरलाल पुत्र मांगू
3–भीमा पुत्र मांगू
4–भंवरलाल पुत्र मांगू
5–बिरमान पुत्र मांगू
6–प्रेम पुत्री मांगू
7–रेखा पुत्री मांगू
8–ममता पुत्री मांगू
समस्त जाति बंजारा निवासीगण बिशनिया(बिलासपुर) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।

................अपीलांटस

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा।
2–चन्दनमल पुत्र भूरालाल चौधरी जाति चौधरी निवासी आमलीकलां हाल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।

..............रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा दिनांक 15.04.2005 जो प्रकरण संख्या 213/2000 में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0:–श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री शिशिर विजयवर्गीय (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–13.01.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नासरदा तहसील शाहपुरा में रेस्पोडेंट संख्या 2 के खाते में पूर्व बन्दोबस्त में 493/1ख रकबा 11 बीघा तथा आराजी नम्बर 492/6 रकबा 14 बीघा कुल 25 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। नये बन्दोबस्त में भी रेस्पोडेंट संख्या 2 की जमीन पर रकबा 25 बीघा ही बताया है। मगर पुराने खसरा नम्बर से बने नये खसरा नम्बर 1048/1209 को बीलानाम जमीन क रूप में दर्ज किया हुआ है। जो गलत है। क्योकि जिस स्थान पर यह नम्बर लिखे हुए है। वह कभी बीलानाम जमीन नहीं रही है और यह पुराने खसरा नम्बर 492/6 की होकर रेस्पोडेंट 2 के खाते की भूमि है। जिसको उसने कभी नही छोड़ा है। आज भी उसके कब्जे में चली आ रही है। अतः पूर्व खसरा नम्बरों से नये नम्बर जो बने है–1045,1046,1049,1048,1050,1030,1052 तथा 1048/1209 नक्शे में अंकित कराया जायें एवं 1048/1209 को जो बीलानाम दर्ज है उसको बीलानाम से निकालकर वादी के खाते में 492/6 का भाग होने से अंकित कराया जाये। साथ ही 1052 व 1036 भी जो 493/1 ख के बने हुए है। वो भी 493/1ख के नक्शे में दिये गये उन स्थानों पर अंकित कराया जाकर नक्शा संशोधित कराया जायें। इस बाबत एक वादपत्र प्रकरण संख्या 213/2000 अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा चन्दनमल बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शाहपुरा के नाम से दिनांक 21.10.2000 को दर्ज करवाया गया। जिस पर बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा दिनांक 15.04.2005 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार किया गया तथा पूर्व नक्शे के आधार पर नवीन नक्शे में आदेश पारित किया गया तथा आराजी नम्बर 1048/1209 जो भू–प्रबंन्ध विभाग द्वारा बीलानाम दर्ज किया गया था को रेस्पोडेंट संख्या 2 को खातेदार घोषित किया गया तथा तरमीम की आज्ञा दी। यह भी अंकित किया है कि साबिक नक्शाट्रेस दिनांक 14.04.1985 निर्णय व डिक्री का हिस्सा रहेगा।

इस निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 17.06.2014 को अपील संख्या 99/2014 दर्ज करवायी गई। मगर वाद में अपने निर्णय दिनांक 29.05.2019 के अनुसार धारा 136 के प्रकरण में सर्वणाधिकार न होने से न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई।

इसके पश्चात अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में वर्तमान अपील दर्ज करवायी गई है। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गई।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र धारा 14, 5 मियाद अवधि अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि विवाद मात्र खसरा नम्बर 1048/1209 का है। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 के अनुसार पुराने नक्शे के अनुसार डिक्री की पालना करने के निर्देश है। इसमे किसी को नुकसान नहीं है। सैटलमेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 1048/1209 को बीलानाम दर्ज किया। आरएए न्यायालय ने अपीलांट की अपील खारिज की है। जो कि उनके द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। मांगू मर चुका है। मांगू ने अपील की थी। मांगू के एल0आर0 पत्रावली पर नहीं आये। अपीलांट को तहसील शाहपुरा का बताया। जबकि अपीलांट तहसी कोटड़ी के है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2005 का है। मगर अपील आरएए न्यायालय में दिनांक 17.06.2014 की है। अपील मियाद बाहर है। खसरा नम्बर 1048/1209 के लिए हमारे विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई थी। जो बाद में ड्रॉप की गई। जिसमें खातेदारी भूमि पर धारा 91 की कार्यवाही नही हो सकती यह माना गया। राजकीय अभिभाषक ने बताया कि धारा 136 के प्रकरण में सहमति आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश गलत है। डिक्री साक्ष्य हो तभी बनती है। तनकी बनानी पड़ती है। रिब्युटल में वकील अपीलांट ने बताया कि सरकार किसी न्यायालय में नहीं गई। जमीन पास में चिपकी हुई बतायी है। धारा 91 का नोटिस हमें मिला है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित आराजी नम्बर 1048/1209 पर मृतक मांगू व उसके अनुसार प्रार्थीगण काबिजकाश्त चले आ रहे है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से बिना जांच रिपोर्ट तलब किये व प्रार्थीगण पीड़ित व व्यथित पक्षकारो को प्रकरण बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय प्राप्त किया गया है। बिलानाम दर्ज आराजी को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है तथा न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 6,7 सीपीसी के तहत डिक्री भी पारित की है। जबकि धारा 136 के प्रार्थना पत्र में डिक्री जारी नहीं की गई है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 को बिलानाम भूमि का खातेदार घोषित किया जाने द्वारा मांग नही की गई थी। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जायें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब रेस्पोडेंट

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: Self Attested

संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन प्रकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया है। ना विवादित भूमि किस गांव में है इस बात का जिक्र किया है। विवादित भूमि बिलानाम होने से तहसीलदार ही मात्र पक्षकार हो सकता है। अपीलांट मांगू द्वारा आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में की गई अपील दिनांक 29.05.2019 को खारिज की गई थी। जबकि मांगू की मृत्यु दिनांक 10.08.2015 को होना बताया गया। अतः मृत्यु के बाद उसके कायम मुकाम को तत्समय अपील में रिकोर्ड पर लेकर अपीलार्थी बताया गया था। जो नहीं बताया गया। इस कारण मांगू के उत्तराधिकारी के रूप में अपील के पेश किये जाने का कोई अधिकारी नही दिया गया। अपीलार्थी यदि व्यक्तिगत रूप से पेश करना चाहते है तो अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर है। मांगू जिस गांव का होना बताया जाता है। वह गांव शाहपुरा तहसील में कभी भी नही रहा है तथा मृतक मांगू की खातेदारी में पूर्व बन्दोबस्त में खसरा नम्बर क्या थे इसका कोई उल्लेख नही है तथा नक्शा भी पूर्व बन्दोबस्त का नहीं बताया गया है तथा यह भी नही बताया है कि खसरा नम्बर 1048/1209 उनके खाते के किस साबिक नम्बर से बने है। अतः अपीलांट का प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें।

विवादित भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा रहा हो, अतिक्रमण रहा हो, इस बाबत उनके विरूद्ध की गई धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही बाबत कोई भी दस्तावेज यथा धारा 91 का नोटिस, पैनाल्टी राशि जमा कराने की रसीद तथा ऑर्डरशीट की कोई नकल प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण का कोई कब्जा विवादित भूमि में नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण संख्या 812/2000 नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट के तहत पटवारी हल्का आमलीकलां बनाम चन्दनमल पिता भूरालाल में कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.02.2003 से डी0एन0जे0 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 208 तथा आरआरडी 1983 पेज 285 के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1048/1209 को रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी में मानते हुए तथा खातेदारी भूमि पर 91 की कार्यवाही नही हो सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप किया। स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 2 का ही कब्जा रहा है। अपीलांटगण अपना कब्जा सिद्ध नहीं करवा पाये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। साथ ही विवादित भूमि बिलानाम होने से आवश्यक पक्षकार मात्र राज्य सरकार की ओर से मात्र तहसीलदार ही हो सकता है। अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है एवं खारिज किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण में अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा दिनांक 15.04.2005 के विरूद्ध आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दिनांक 17.06.2014 उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। अपील वहां दिनांक 29.05.2019 तक न्यायालय मे जैरकार रही। उनके अभिभाषक द्वारा पेशी दिनांक 29.05.2019 को स्वयं उपस्थित होकर बहस करने की बात कही थी तथा हमें उस दिन की कार्यवाही बाबत जानकारी पत्र द्वारा सूचित करने का आश्वासन दिया था। दिनांक 07.06.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन कर दिनांक 13.06.2019 को प्रतिलिपी प्राप्त की गई। दिनांक 08.07.2019 को अभिभाषक के कार्यालय में उपस्थित हुए। उनके द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय दी। दिनांक 09.07.2019 को अपील प्रस्तुत की। रेस्पोडेंट सं० 2 के द्वारा लिखित जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में यह कहा कि मांगू अपीलाधीन प्रकरण 213/2000 में पक्षकार नहीं था। उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2005 का है। इसकी प्रथम अपील मांगू के द्वारा आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में 2014 में की गई। फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

बाद में 2019 में न्यायालय हाजा में अपील की गई है। जो मियाद बाहर है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोडेंट 2 द्वारा लिखित जवाब का अवलोकन किया गया। अपीलांट मांगू द्वारा तत्समय 9 वर्ष बाद आरएए न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। आरएए न्यायालय में दिनांक 20.05.2019 को उक्त अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दी गई थी। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 11.07.2019 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 प्रस्तुत किया गया था। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 29.04.2022 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र बाद बहस सुनवाई खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.09.2002, पटवारी मौका कब्जा रिपोर्ट दिनांक 03.03.2002 तथा तहसीलदार शाहपुरा रिपोर्ट क्रमांक 562 दिनांक 08.05.2003 से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मौका एवं कब्जा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी तथा तहसीलदार के द्वारा चाही गई सूचना को बिन्दुवार प्रेषित किया गया था। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2003 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार नया नम्बर जो वर्तमान में बिलानाम दर्ज किये गये। वो नये नम्बर 1048/1209 रकबा 1.5 हे0 है। जो पूर्व के आराजी नम्बर 492/6 का हिस्सा था। इसमें से 0.74 हे0 भूमि चन्दनमल पिता भूरालाल चौधरी के खाते में थी।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आरआरडी 2016 हाईकोर्ट पेज 382, आरआरडी 2022 पेज नम्बर 696 ,सीसीसी 2011(4) सुप्रीम कोर्ट पेज 738 , आरआरडी 2016 पेज नम्बर 264, आरआरडी 2016 पेज नम्बर 344 प्रस्तुत किये और इनका भी अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2048 से 2049 के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम ग्राम नासरदा तहसील शाहपुरा में खातेदारी में खसरा नम्बर 493/1 ख 11 बीघा तथा 492/6 रकबा 14 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 25 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है।

इसी ग्राम की जमाबंदी संवत 2054–57 के अनुसार खाता संख्या नया 20 में रेस्पोडेंट संख्या 2 के खातेदारी में खसरा नम्बर 996,1036,1037,1038,1045,1046,1048,1049,1050 कुल किता 9 रकबा 6.32 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम है। संवत 2054–57 ग्राम नासरदा विवादित खसरा नम्बर 1048/1209 रकबा 1.77 बीघा बिलानाम काबिजकाश्त राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।

प्रकरण संख्या 812/2000 नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट के तहत पटवारी हल्का आमलीकलां बनाम चन्दनमल पिता भूरालाल में कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.02.2003 से डी0एन0जे0 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 208 तथा आरआरडी 1983 पेज 285 के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1048/1209 को रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी में मानते हुए तथा खातेदारी [illegible] 91 की कार्यवाही नही हो सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध की गई कार्यवाही को [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी आंमलीकलां रिपोर्ट दिनांक 04.09.2002 के अनुसार 1.– चन्दनमल पिता भूरालाल चौधरी के साबिक रिकोर्ड में संलग्न जमाबंदी नकल अनुसार 6.32 हे0(25 बीघा) भूमि दर्ज थी। प्रार्थी के हाल रिकोर्ड में भी 6.32 हे0 भूमि दर्ज होकर खाते में कमी पेशी नहीं हुई।

2.–हाल खसरा नम्बर 1048/1209 रकबा 1.77 संवत 2051–70 में बीलानाम के खाते में दर्ज है। उक्त आराजी 1048/1209 रकबा 1.77 हे0 में से 1.52 हे0 पर प्रार्थी का कब्जा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1048/1209 आराजी नम्बर 492 मीन से बना है। 3.– हाल आराजी नम्बर 996/0.16, 1047/0.04, 1038/0.30, 1045/0.04, 1048/2.70, 1049/0.01, 1046/0.025 चन्दनमल के खातेदार में दर्ज होकर साबिक आराजी नम्बर 692/6क मीन से बने है। दिनांक 03.03.2002 को मौका कब्जा रिपोर्ट पटवारी हल्का आमलीकलां द्वारा भिजवायी गई। जिसके अनुसार

1.–आराजी नम्बर साबिक 492/6 के हाल नम्बर निम्न है–

हाल नम्बर	हाल रकबा	साबिक नम्बर
996	0.16	492/6क मीन
1037	0.04	492/6क मीन
1038	0.30	492/6क मीन
1045	0.04	492/6क मीन
1046	0.25	492/6क मीन
1048	2.70	492/6क मीन
1049	0.01	492/6क मीन
	3.50	

2.–उक्त नम्बरो पर चन्दनमल पिता भूरालाल चौधरी का कब्जा है।

3. साबिक व हाल नक्शे का मिलान करने पर आराजी नम्बर 1037/0.04, 1038/0.30, 1045/0.04, 1049/0.01, पूर्ण रूप से प्रार्थी के खाते में थे। आराजी नम्बर 996/0.10, 1046/0.16, 1048/2.50 आंशिक रूप से चन्दनमल के खाते मे थे। खसरा नम्बर 996/0.06, 1046/0.09, 1048/0.26, चन्दनमल के खाते में नही थे। किता 3 में से कुल 0.41 हे0

4. बिलानाम नम्बर 1048/1209 रकबा 1.52 हे0 में से रकबा 0.74 हे0 मुताबिक साबिक व हाल नक्शो के नाम से पूर्व में साबिक नम्बर 492/6 का हिस्सा था। जो चन्दनमल के नाम पर दर्ज था।

5. मुताबिक साबिक व हाल नक्शे के अनुसार हाल नम्बर 1050 रकबा 1.43 हे0 साबिक नम्बर 493/1ख मीन से बना है, में भी 0.33 हे0 चन्दनमल के खाते में दर्ज नही था। पटवारी की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.05.2003 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को यह रिपोर्ट पेश की गई थी। जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय जारी किया है।

पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजों के समग्र विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांटगण अपने आप को व्यथित पक्षकार के रूप में साबित नहीं कर पाये है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से समुचित रिपोर्ट प्राप्त कर तत्समय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा जारी किया गया था। धारा 136 एलआरएक्ट के आदेश विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार है। अपील कई क[illegible]भावित है। विवादित खसरा नम्बर 1048/1209 पर अपने कब्जे बाबत अपीलांटगण द्वारा [illegible] दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा बउनवानी प्रकरण चन्दनमल बनाम शाहपुरा अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 15.04.2005 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested